

परिपत्र

पत्रांक— 121 / आयु0क0 उत्तरा0 / वाणि0क0 / विधि-अनु0 / 08-09 / दे0दून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(विधि-अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक:: 17 अप्रैल 2008

समस्त डिप्टी कमिशनर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005) (संशोधन) अधिनियम 2008 (अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2008) के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 1314/XXXVI(4)/2008 दिनांक 31-03-2008 जारी की गयी है। सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की छाया प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना/करवाना सुनिश्चित करें।

(एल0एम0पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पृ0प0सं0 121 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महालेखाकार उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर।
- 5- एडीशनल कमिशनर (आडिट)/ (प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- ज्वाइन्ट कमिशनर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

MW

Dy. NO: 875

Dated: 16.04.08



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 मार्च, 2008 ई0

चैत्र 11, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1314/XXXVI(4)/2008

देहरादून, 31 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 25 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) अधिनियम, 2008
(अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2008)

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 को संशोधित करने के लिये

अधिनियम

213
9-4-08

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम किया जाता है :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: 1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक, 2008 है।
- (2) यह तत्काल प्रभावी होगा।
- सामान्य: 2. उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, जिसे यहाँ आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है, में जहाँ-जहाँ पदनाम "वाणिज्य कर अधिकारी श्रेणी-2" आया है, वहाँ-वहाँ उसके स्थान पर पदनाम "वाणिज्य कर अधिकारी" रख दिया जायेगा।

धारा 2 का

संशोधन:

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की-
- (क) वर्तमान उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-
- "(9) "कमिश्नर" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य कर कमिश्नर अभिप्रेत है और इसमें सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य कर के एडिशनल कमिश्नर तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर सम्मिलित हैं।"
- (ख) वर्तमान उपधारा (25) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-
- "(25) "किसी जॉच चौकी या नाके का प्रभारी अधिकारी" से वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न पद का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो ऐसी जॉच चौकी या नाके पर तैनात हो;"

(ग) वर्तमान उपधारा (27) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

“(ग) कम्पनी या निगम या वित्तीय संस्था या बैंक।”

धारा 4 की
उपधारा (2)
एवं (7) में
खण्ड का
प्रतिस्थापन
/ संशोधन:

4.

मूल अधिनियम की धारा 4 की—

(क) उपधारा(2) के खण्ड(च) के बाद निम्न खण्ड (छ) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

“(छ) इस्तेमाल किये गये पूँजीगत माल की बिक्री पर, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व के भीतर या, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन पंजीयन की तारीख पर या उसके पश्चात् क्रय किया गया हो, तथा जिसकी खरीद पर, खरीद के समय इस अधिनियम अथवा निरसित अधिनियम के अधीन इस राज्य में कर का भुगतान नहीं किया गया है, अनुसूचियों के अनुसार दरों पर कर देय होगा;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें खरीद के समय इस अधिनियम अथवा निरसित अधिनियम के अधीन इस राज्य में कर का भुगतान किया गया है और उसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा नहीं किया गया है, तो ऐसे माल की बिक्री पर कोई कर देय नहीं होगा।”

(ख) उपधारा (7) के खण्ड (क) की अंतिम लाइन में प्रयुक्त शब्दों “4 प्रतिशत की दर से” के स्थान पर “केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से” शब्द रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (7) के खण्ड (क) के परन्तुक में प्रयुक्त "4 प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से" शब्द रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (7) के खण्ड (ख) के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्दावली "यदि किसी ब्यौहारी को उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए" के स्थान पर "यदि किसी ब्यौहारी को उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी कर योग्य माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए" शब्द रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (7) के खण्ड (ड) की तीसरी लाइन में प्रयुक्त शब्द "विशेष प्रवर्ग के माल" के स्थान पर शब्द "माल" रख दिया जायेगा।

(च) उपधारा (7) के खण्ड (ड) में शब्दावली "तो ऐसा व्यापारी" के बाद प्रयुक्त शब्द "दण्ड स्वरूप" हटा दिये जायेंगे।

धारा 6 की
उपधारा (3),
(6), (7)
एवं (8) के
खण्ड में
संशोधन/
प्रतिस्थापन:

5. मूल अधिनियम की धारा 6 की—

(क) उपधारा (3) के खण्ड (घ) तथा खण्ड (ड) में प्रयुक्त शब्दों "कच्चे माल" के स्थान पर "कच्चे माल एवं उपभोज्य भण्डार (कन्ज्यूमेबल्स)" शब्द रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) के प्रथम तथा द्वितीय दोनों परन्तुकों में प्रयुक्त शब्दों "4 प्रतिशत से अधिक" के स्थान पर "केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक" शब्द रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (6) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द "3 माह के पश्चात्" के स्थान पर शब्द "6 माह के पश्चात्" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (6) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ख) व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख तक क्रय किये गये ऐसे पूंजीगत माल के बारे में विनिर्माता इनपुट टैक्स का लाभ उस वर्ष, जिसमें ऐसे कराधेय माल के प्रथम विक्रय की तारीख पड़ती है, के बाद दो समान वार्षिक किश्तों में दावा करने का पात्र होगा। व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख के बाद क्रय किये गये ऐसे पूंजीगत माल के बारे में किसी वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे इनपुट टैक्स की कुल धनराशि का अगले वित्तीय वर्ष से आरम्भ होकर दो समान वार्षिक किश्तों में दावा किया जायेगा। वार्षिक किश्तों का दावा, प्रत्येक दो वर्षों में सितम्बर में समाप्त होने वाली अवधि की विवरणी या किसी पश्चातवर्ती कर अवधि की विवरणी में किया जायेगा।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी माल के, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान किये गये विक्रय के मामले में, ब्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि का दावा उपरोक्त दो किश्तों के बजाय एक वार्षिक किश्त में किया जायेगा।"

(ङ) उपधारा (7) के खण्ड (क) के उपखण्ड (x) के बाद निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

“(xi) माल, जो किसी पंजीकृत ब्यौहारी से कय किया गया है, जिसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आवर्त पर किसी प्रतिशत से प्रकल्पित कर या समाधान के रूप में धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे माल के विक्रय और/या क्रय पर कर की धनराशि के बदले में एकमुश्त धनराशि के भुगतान का विकल्प दिया है।”

(च) उपधारा (8) के वर्तमान खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

“(ड) अनुसूचि III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग का माल या शीरे के सिवाय माल, जो ऐसे माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकिंग में उपयोग किया जाता है; या”

(छ) उपधारा (8) के खण्ड (ढ) के बाद के दोनों परन्तुकों में प्रयुक्त शब्द “मद(च)” के स्थान पर शब्द “मद(छ)” रख दिया जायेगा।

(ज) उपधारा (8) के खण्ड (ढ) के प्रथम परन्तुक में प्रयुक्त शब्दों “4 प्रतिशत से अधिक” के स्थान पर “केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक” शब्द रख दिये जायेंगे।

धारा 20 की

उपधारा (12)

का प्रतिस्थापन: 6.

मूल अधिनियम की धारा 20 की वर्तमान उपधारा (12) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(12) किसी ऐसे ब्यौहारी से, जो केवल धारा 4 के अधीन कर से छूट प्राप्त माल का कारबार करता है और इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन विहित किन्हीं प्रपत्रों का उपयोग न करता हो, इस धारा के अधीन प्रतिभूति देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।”

धारा 23 की 7. मूल अधिनियम की धारा 23 की वर्तमान उपधारा (3) के स्थान पर उपधारा (3) का निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

प्रतिस्थापन:

“(3) कर भुगतान के लिये दायी प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति अपनी विवरणी के साथ पंजीकृत ब्यौहारियों से किये गये माल-के कर जिसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा किया जा रहा है, की सूची तथा पंजीकृत ब्यौहारियों को की गयी बिक्री दर्शाते हुए एक सूची विहित रीति तथा ऐसे विवरणों के साथ दाखिल करेगा जैसा कि निर्धारित किया जाय।”

धारा 25 की

उपधारा (4)

एवं (8) का

प्रतिस्थापन

8

मूल अधिनियम की धारा 25 की—

(क) वर्तमान उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(4) उपरोक्त उपधारा (3) में किसी बात के रहते हुए भी, निम्नलिखित प्रवर्ग के मामले, जांच के पश्चात् नियमित कर निर्धारण के अध्यक्षीन होंगे:—

(क) वे मामले, जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पांच करोड़ रुपये से अधिक है;

(ख) वे मामले, जिनमें किसी वर्ष में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा पांच लाख रुपये से अधिक है;

(ग) वे मामले, जिनमें किसी वर्ष में वापसी का दावा एक लाख रुपये से अधिक है;

(घ) वे मामले, जो कर अपवंचन के सम्बन्ध में निश्चित आसूचना पर आधारित हैं;

(ङ) वे मामले, जो उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन स्वतः कर निर्धारण के लिये आच्छादित मामलों में से किसी मानदण्ड या यादृच्छिक (रैण्डम) आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत चयनित किये गये हैं;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, छानबीन के लिये मामलों के चयन के मानदण्ड में परिवर्तन कर सकती है।”

(ख) वर्तमान उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(8) कर-सम्परीक्षा (टैक्स ऑडिट):

(क) किसी बात के होते हुए भी कि किसी ब्यौहारी का किसी वर्ष का कर निर्धारण लम्बित है या इस अधिनियम के अधीन, किसी कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये उसका कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण किया जा चुका है, ब्यौहारी द्वारा इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, उसके अभिलेखों, माल तथा सम्बन्धित दस्तावेजों की कर-सम्परीक्षा (टैक्स ऑडिट) की जा सकती है।

(ख) कर-सम्परीक्षा, कर-सम्परीक्षा खण्ड (टैक्स ऑडिट विंग) के किसी अधिकारी, जो एडिशनल कमिशनर से निम्न पद का न हो या कमिशनर द्वारा अधिकृत विभाग के अन्य अधिकारी/अधिकारियों, जिनमें कर निर्धारक प्राधिकारी सम्मिलित

हैं एवं कर-सम्परीक्षा खण्ड में तैनात अधिकारियों द्वारा की जा सकती है।

(ग) खण्ड (क) के अधीन कर-सम्परीक्षा के प्रयोग हेतु ऐसा/ऐसे अधिकृत अधिकारी दाखिल विवरणी अथवा विवरणियों की शुद्धता तथा इनपुट टैक्स लाभ के दावे सहित विभिन्न दावों की स्वीकार्यता का परीक्षण करेगा/करेंगे।

(घ) कर-सम्परीक्षा के प्रयोजन से ब्यौहारी का चुनाव ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाये, से किया जायेगा।

(ङ) कर-सम्परीक्षा, ब्यौहारी के कार्यालय, कारबार-परिसर या भंडारागार में की जा सकती है। तथापि, सम्परीक्षा करने वाला अधिकारी, यदि आवश्यक समझे, तो ब्यौहारी से अपने कार्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर, जो कि नोटिस में विहित रीति से विनिर्दिष्ट हो, उपस्थित होने तथा लेखा बहियां तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत करवाने की अपेक्षा कर सकता है।

(च) कर-सम्परीक्षा करने वाले अधिकारी/अधिकारियों को अधिनियम की धारा 42 के अधीन शक्तियां प्राप्त होंगी तथा वे लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों में से उद्धरण अथवा नकल ले सकते हैं अथवा लिवा सकते हैं, माल की सूची बना सकते हैं, ऐसी सूचना या विवरण प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही हेतु उपयोगी तथा सुसंगत हो।

(छ) ब्यौहारी, कर-सम्परीक्षा दल (ऑडिट पार्टी) को, सम्परीक्षा के दौरान, पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगा।

(ज) कर-सम्परीक्षा के पूर्ण हो जाने के बाद, कर-सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को तथा एक प्रति ब्यौहारी को कर-सम्परीक्षा के 15 दिन के भीतर प्रेषित की जायेगी।

(झ) कर निर्धारक प्राधिकारी, सम्परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।”

धारा 34 की
उपधारा (1) एवं
उसके परन्तुक
में संशोधन:

9.

मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) और उसके परन्तुक में उल्लिखित शब्द “30 दिन के भीतर” के स्थान पर शब्द “60 दिन के भीतर” रख दिये जायेंगे।

धारा 36 की
उपधारा (3)
में परन्तुक
का प्रतिस्थापन:

10.

मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्—

“परन्तु यह कि यदि मामले, जो कि धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसार स्वतः कर निर्धारित मान लिये गये हैं, में कोई धनराशि वापसी योग्य पायी जाती है तो रिफण्ड वाउचर, उस विशिष्ट कर

निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु निर्धारित अन्तिम तारीख अथवा वास्तविक तारीख, जिसमें विवरणी दाखिल की गयी है, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, की समाप्ति के एक माह के भीतर भेजा जायेगा।”

धारा 37 की

उपधारा (2)

का प्रतिस्थापन: 11.

मूल अधिनियम की धारा 37 की वर्तमान उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(2) ऐसे ब्यौहारी द्वारा, अनन्तिम वापसी की धनराशि के समतुल्य धनराशि के लिये, कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार, बैंक गारन्टी या अन्य प्रतिभूति या माल के निर्यात का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसी गारन्टी या अन्य प्रतिभूति या माल के निर्यात का दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने पर, कर निर्धारक प्राधिकारी इस धारा एवं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 30 दिन के अन्दर वापसी योग्य धनराशि की अनन्तिम वापसी ब्यौहारी को देगा। ब्यौहारी अपने द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी या प्रतिभूति को, अन्तिम कर निर्धारण के बाद अधिक वापसी योग्य धनराशि, यदि कोई हो, के भुगतान की तारीख तक वैध रखेगा;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वापसी योग्य पाई गई धनराशि यदि ब्यौहारी को विहित अवधि के भीतर वापस नहीं की जायेगी तो ब्यौहारी ऐसी धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का हकदार होगा।”

धारा 44 की

उपधारा (3)

का निरसन: 12. मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (3) एतद्वारा निरसित कर दी जायेगी।

धारा 51 की

उपधारा (1)

में संशोधन: 13. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा(1) में प्रयुक्त शब्द "30 दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "60 दिन के भीतर" रख दिये जायेंगे।

धारा 58 की

उपधारा (1)

का प्रतिस्थापन: 14. मूल अधिनियम की धारा 58 की वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(1) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने निम्नलिखित चार्ट के स्तम्भ (1) के किसी खण्ड में उल्लिखित अपराध किया है तो वह ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति, उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में उससे सम्बन्धित स्तम्भ-2 में उल्लिखित धनराशि का भुगतान करेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
अपराध	अर्थदण्ड
(1) इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिये उत्तरदायी होते हुए भी, पंजीयन प्राप्त करने के लिये उसके जिम्मेदार होने की तारीख के 30 दिन बाद भी धारा 15 या धारा 16 के उपबन्धों के	(1) प्रथम तीन महीने में व्यतिक्रम के लिये, प्रत्येक महीने या उसके भाग के निमित्त दो सौ रुपया, और प्रथम तीन महीने के पश्चात्, प्रत्येक महीने

अधीन और उनके अनुसार पंजीयन प्राप्त किये बिना या धारा 20 के अधीन मांगी गई जमानत जमा किये बिना एक ब्यौहारी के रूप में अपना कारोबार करता है या चालू रखता है,	या उसके भाग के लिये, जिसमें व्यक्तिगत किया जाता रहे, पांच सौ रुपया,
(ii) ऐसे समय जब वह माल का विक्रय या क्रय करता है, पंजीकृत ब्यौहारी न होते हुए भी, मिथ्या दर्शाता है कि वह एक पंजीकृत ब्यौहारी है या था;	(ii) रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि,
(iii) कर भुगतान करने के दायित्व से बचने या उसको टालने या दूसरे पर डालने की दृष्टि से जानबूझ कर झूठी पंजीयन संख्या जिसमें अन्य व्यक्ति की पंजीयन संख्या भी सम्मिलित है, का उपयोग करता है;	(iii) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,
(iv) युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने आवर्त की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या अनुमन्य समय के भीतर और विहित रीति से प्रस्तुत नहीं की है;	(iv) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो,
(v) इस अध्यादेश के अधीन आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की है;	(v) दस हजार रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो, से अनधिक धनराशि,
(vi) अपने आवर्त की विशिष्टियाँ छिपाई हैं अथवा जानबूझ कर ऐसे आवर्त की त्रुटिपूर्ण विशिष्टियाँ प्रस्तुत की हैं;	(vi) कर की उस धनराशि का कम से कम पचास प्रतिशत, किन्तु दो सौ प्रतिशत से अनधिक, जो परवर्जित हो जाती,
(vii) युक्तियुक्त कारण के बिना— (क) अधिनियम के अधीन देय कर, विवरणी	(vii) (क) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक

<p>प्रस्तुत करने से पूर्व या उसके साथ जमा नहीं किया है;</p> <p>(ख) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है;</p> <p>(ग) इस अधिनियम के अधीन देय कर से अधिक कर के रूप में वसूली गई धनराशि या ऐसे कर के बदले में कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर वसूली गई धनराशि विवरणी के साथ जमा नहीं किया है;</p>	<p>पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो.</p> <p>(ख) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो.</p> <p>(ग) ऐसी धनराशि, जो वसूले गये या अधिक वसूले गये कर की धनराशि से कम न हो, किन्तु उक्त धनराशि के तीन गुना से अधिक न हो.</p>
<p>(viii) ऐसी धनराशि जिसके सम्बन्ध में धारा 76 के उपबन्धों के अधीन अधिस्थगन स्वीकृत किया गया है, का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट अवधि में करने में असफल रहता है</p>	<p>(viii) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो.</p>
<p>(ix) किसी माल के विक्रय या क्रय पर कोई कर मांगे या वसूल करे जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय न हो;</p>	<p>(ix) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि.</p>

(x) धारा 22 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करके विक्रय या क्रय पर कर के रूप में कोई धनराशि या ऐसे कर के बदले कोई भिन्न या छद्म नाम देकर कोई धनराशि वसूल करता है;	(x) ऐसी धनराशि, जो वसूले गये या अधिक वसूले गये कर की धनराशि से कम न हो, किन्तु उक्त धनराशि के तीन गुना से अधिक न हो.
(xi) इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है;	(xi) पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो.
(xii) इस अधिनियम के अधीन देय कर या फीस या अर्थदण्ड या किसी अन्य धनराशि के जमा करने का मिथ्या प्रमाण प्रस्तुत करता है;	(xii) पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो.
(xiii) विहित रीति से बहियाँ, लेखे, दस्तावेज नहीं रखता है;	(xiii) रुपये पाँच हजार से अनधिक धनराशि.
(xiv) मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है अथवा प्रस्तुत किया है.	(xiv) कर की उस धनराशि का कम से कम पचास प्रतिशत, किन्तु दो सौ प्रतिशत से अनधिक जो तद्वारा परिवर्जित हो जाती.
(xv) कोई ऐसी सूचना, जो उसकी जानकारी में या उसके पास हो और जिसकी उससे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हो, प्रस्तुत करने से इनकार करता है अथवा उसमें उपेक्षा करता है, अथवा ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है जो किन्हीं तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है;	(xv) प्रत्येक व्यक्तिकम के लिये रुपये दो हजार से अनधिक धनराशि.
(xvi) धारा 62 के उपबन्धों के उल्लंघन में सम्परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है.	(xvi) रुपये पाँच हजार से अनधिक धनराशि.
(xvii) किसी बही, दस्तावेज या लेखा बही या किसी	(xvii) रुपये दस हजार से अनधिक

कम्प्यूटर या कम्प्यूटर फ्लॉपी में रखी गयी सामग्री का निरीक्षण या परीक्षण करने देने से इनकार करता है या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है या धारा 42 के उपबन्धों के अनुसार उनकी प्रतिलिपियां या प्रिन्ट आउट तैयार करने देने से इनकार करता है;	धनराशि,
(xvii) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निरीक्षण को रोकने के उद्देश्य से अपना कारोबार स्थल बन्द कर देता है अथवा छोड़ देता है;	(xviii) रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि,
(xix) धारा 48 या धारा 49 के उपबन्धों का उल्लंघन करके माल का आयात या परिवहन करता है या आयात या परिवहन करने का प्रयत्न करता है या आयात या परिवहन करने के लिये दुष्प्रेरित करता है;	(xix) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो,
(xx) अपने वाहन को उस दशा में रोकता नहीं है या खड़ा नहीं रखता है अथवा रोकने या खड़ा रखने से इनकार करता है, जब धारा 47 के अधीन स्थापित जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 42 के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जाय;	(xx) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,
(xxi) जैसा कि धारा 50 में विहित है, उसके अनुसार माल के पारगमन के लिये प्राधिकार प्राप्त नहीं करता है अथवा उसे नहीं देता है;	(xxi) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना

	धनराशि, जो भी अधिक हो.
(xxii) एक परिवाहक या अग्रेषण अभिकर्ता होते हुये किसी वाहन जो राज्य के बाहर से माल को लाकर राज्य के बाहर ले जाने के लिये निर्वहन करता है, के वाहन चालक या प्रभारी व्यक्ति से कोई माल प्राप्त करता है लेकिन, यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया गया है,	(xxii) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो.
(xxiii) एक परिवाहक या अवकेता या वाहन चालक या वाहन का प्रभारी व्यक्ति होने की दशा में यह दर्शाते हुये कि माल का गन्तव्य राज्य के बाहर किसी स्थान को है, दस्तावेज तैयार करता है लेकिन निकासी जांच चौकी पर माल के साथ माल के पारगमन के प्राधिकार की प्रतियां प्रस्तुत करने और/या यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन का अधिकार-पत्र प्राप्त करने के बाद माल राज्य के बाहर ले जाया गया है,	(xxiii) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो.
(xxiv) धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन लगायी गयी किसी मुहर से अन्तःक्षेप करता है,	(xxiv) रुपये पच्चीस हजार से अनधिक धनराशि,
(xxv) धारा 60 के उपबन्धों के अनुसार बिक्रीबीजक जारी करने में असफल रहता है अथवा बिक्रीबीजक अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण विशिष्टियों के साथ जारी करता है अथवा ऐसा बीजक जारी करने के पश्चात् उसको अपनी लेखा बहियों में शुद्धतया लेखाबद्ध करने में असफल रहता है;	(xxv) प्रथम व्यक्तिकम के लिये एक सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की दुगुनी धनराशि, जो भी अधिक हो, और द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती व्यक्तिकम के लिये दो सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की दुगुनी धनराशि, जो भी अधिक हो.

(xxvi) झूठा बिक्रीबीजक, वाउचर या अन्य दस्तावेज जिनको वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वे झूठे हैं, जारी करता है;	(xxvi) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,
(xxvii) किसी माल के प्रेषण पर परिवहन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चालान या अन्तरण-बीजक या परिवहन-मीमा जारी करने में असफल रहता है;	(xxvii) प्रथम व्यतिक्रम के लिये एक सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की दो गुनी धनराशि, जो भी अधिक हो, और द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्पूर्ति व्यतिक्रम के लिये दो सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की दो गुनी धनराशि, जो भी अधिक हो,
(xxviii) कोई मिथ्या बिक्रीबीजक, ऐसे बिक्रीबीजक में दर्शाये गये माल के विक्रय या क्रय किये बिना जारी करता है या प्राप्त करता है;	(xxviii) रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि,
(xxix) कोई झूठा या गलत घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अधीन इसके अधीन बने नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके;	(xxix) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो,
(xxx) किसी घोषणा का विवरण प्रपत्र, या प्रमाण-पत्र उपयोग करता है जो उसने या उसके कर्ता या अभिकर्ता द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त नहीं किये हैं;	(xxx) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो,
(xxxi) किसी घोषणा के विहित प्रपत्र या प्रमाण-पत्र को किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम या	(xxxi) माल के आवर्त को कराधेय मानते हुए, इस पर कर की धनराशि

<p>उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन विधि पूर्ण प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु अन्तरण करता है;</p>	<p>के तीन गुना के बराबर धनराशि या उसमें दर्शित माल की कीमत का चालीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, और यदि घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र का प्रपत्र खाली पाया जाता है तो पचास हजार रुपये से अनधिक,</p>
<p>(xxxii) राजस्व को हानि पहुंचाने के आशय से किसी ऐसे घोषणा के विहित प्रपत्र या प्रमाण-पत्र को प्राप्त करता है या रखता है जिसको कर्ता या अभिकर्ता द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन प्राप्त नहीं किया गया है;</p>	<p>(xxxii) माल के आवर्त को कराधेय मानते हुए इस पर कर की धनराशि के तीन गुना के बराबर धनराशि या उसमें दर्शित माल की कीमत का चालीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, और यदि घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र का प्रपत्र खाली पाया जाता है तो दस हजार रुपये से अनधिक,</p>
<p>(xxxiii) किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके किसी कार्य को करने से या उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है या किसी अधिकारी को गाली देता है या धमकाता है;</p>	<p>(xxxiii) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,</p>
<p>(xxxiv) किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की दृष्टि से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भड़काता है या आमन्त्रित करता है या किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की दृष्टि से</p>	<p>(xxxiv) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,</p>

किसी अवैधानिक सभा जमाव में भाग लेता है या किसी अधिकारी को गाली देता है या धमकी देता है;	
(xxxv)पंजीयन के लिये प्रार्थना-पत्र पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मिथ्या सत्यापन या घोषणा करता है;	(xxxv)रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,
(xxxvi)इस अधिनियम या उसके अधीन बनावे गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके कार्य करता है।	(xxxvi)रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि,

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनार्थ, कर निर्धारक प्राधिकारी से जॉच चौकी पर तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न पद का अधिकारी, या धारा 42 या धारा 43 या दोनों, यथास्थिति, के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

धारा 59 की

उपधारा (10)

का प्रतिस्थापन: 15. मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(10) यदि कोई पंजीकृत ब्यौहारी अथवा ब्यौहारी, जो कर भुगतान करने के लिये दायी है, किसी कर योग्य माल को बिक्री के फलस्वरूप अथवा अन्यथा दूसरे ब्यौहारी को परेषित करता है, तो—

(क) ऐसा ब्यौहारी, बिक्री के अन्यथा, माल के परेषण के मामले में, एक बिक्री बीजक या चालान जारी करेगा, जिसमें परेषणकर्ता तथा परेषती का नाम, पता तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या (प्रभावी तारीख सहित) अंकित किया जायेगा, तथा विक्रय के मामले में, माल का विवरण, मात्रा, परिमाण तथा प्रभारित कर की धनराशि तथा

परेषण के मामले में, माल का अनुमानित मूल्य तथा बिक्री के मामले में, माल का मूल्य अंकित किया जायेगा,

(ख) ऐसा ब्यौहारी, क्रेता अथवा परेषती व्यक्ति को मूल रूप में मूल बिक्री बीजक अथवा, यथास्थिति, चालान जारी करेगा तथा विक्रय के मामले में, बीजक की प्रथम प्रति तथा परेषण के मामले में, चालान की मूल प्रति माल के अभिवहन के दौरान माल के साथ रहेगी तथा विक्रय के मामले में, बीजक की द्वितीय प्रति तथा परेषण के मामले में, चालान की द्वितीय प्रति ब्यौहारी द्वारा अपने लेखों के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी;

(ग) परेषती को सुपुर्द करने के लिए माल को परिवहन करने वाला व्यक्ति, बिक्री बीजक अथवा चालान में वाहन की पंजीयन संख्या अंकित करेगा और ऐसा दस्तावेज परेषती को माल के साथ प्रदान करेगा;

(घ) माल का परेषती ब्यौहारी, ऐसा कोई दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा तथा उसे धारा 61 में निर्धारित अवधि तक के लिये सुरक्षित रखेगा।"

धारा 60 की
उपधारा (2)
के खण्ड (ड)

में संशोधन:

16. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) में प्रयुक्त शब्द 'सेवक' के स्थान पर शब्द 'कर्मचारी' रख दिया जायेगा।

धारा 62 का

प्रतिस्थापन:

17. मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(1) जब किसी विशेष वर्ष में, किसी ब्यौहारी का सकल आवर्त रुपये एक करोड़ या कोई अन्य धनराशि, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, से अधिक हो जाता है तो ऐसा ब्यौहारी, उस वर्ष से सम्बन्धित अपने लेखों की सम्परीक्षा अनुवर्ती वर्ष में 31 दिसम्बर से पूर्व किसी लेखाकार से करायेगा और ऐसे सम्परीक्षण की आख्या, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित और ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जायें, को उल्लेखित करते हुए, प्राप्त करेगा।

(2) ऐसे ब्यौहारी द्वारा ऐसी कालावधि, जिसके दौरान उपधारा (1) के अनुसार सम्परीक्षा पूरी करने की अपेक्षा की गई है, की समाप्ति के बाद दो माह के भीतर ऐसी रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि, कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(3) यदि किसी विशेष वर्ष में किसी ब्यौहारी का सकल आवर्त चालीस लाख रुपये से अधिक किन्तु रुपये एक करोड़ से अनधिक हो जाता है तो ऐसा ब्यौहारी, किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कॉस्ट एकाउन्टेन्ट अथवा किसी लेखा परीक्षक(ऑडिटर) द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित अपने लेखों की सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक सत्यप्रति प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट अनुवर्ती वर्ष में 31 दिसम्बर तक कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन हेतु, “लेखाकार” से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 में परिभाषित किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट और लागत और संवर्ध लेखा अधिनियम, 1959 में परिभाषित लागत एकाउन्टेन्ट अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबन्धों के आधार पर उस अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों के सम्परीक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने का हकदार है, भी सम्मिलित है।”

धारा 75 का
प्रतिस्थापन:

18. मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 75 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"75. बकाया माफी एवं किरतें मंजूर करने का अधिकार

(1) राज्य सरकार किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति को कर, अर्धदण्ड, ब्याज या अन्य देयों की बकाया को, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा उपयुक्त समझा जाये, माफ कर सकती है।

(2) कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार, प्रतिभूति देने की शर्तों को सम्मिलित करते हुए ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा उपयुक्त समझा जाये—

(क) राज्य सरकार, ऐसे किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति को, जिस पर कर, अर्धदण्ड या अन्य देय की धनराशि बकाया हो, उतनी मासिक किस्तों में, जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकती है और

(ख) कमिश्नर उसी तरह, ऐसे किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति को जिस पर कर, अर्धदण्ड या अन्य देय की धनराशि, जिसका कुल योग दो लाख रुपये से अधिक न हो, बकाया हो, वीरा से अनाधिक उतनी मासिक किस्तों में, जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि जमा करने की अनुमति दे सकता है।

(3) जहाँ ऐसा ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति, उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश के तीस दिन के भीतर बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिये, सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार, पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहता है या ऐसे आदेश में अधिरोपित शर्तों या निर्बन्धनों का पालन करने में असफल रहता है, वहाँ देय धनराशि तुरन्त वसूल की जाएगी।"

धारा 76 की 19. मूल अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के स्थान
उपधारा (6) पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

के खण्ड (ग)

का प्रतिस्थापन:

“(ग) पात्रता प्रमाण-पत्र धारक ऐसे ब्यौहारी से, जो कि पूर्णतः या अंशतः कर मुक्त हो, माल का क्रय करने वाला पंजीकृत ब्यौहारी, विक्रेता ब्यौहारी के कर बीजक में प्रभारित कर की धनराशि के इनपुट टैक्स लाभ लेने का हकदार होगा और विक्रेता ब्यौहारी, इस प्रयाजन हेतु, बीजक में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा-

प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि ब्यौहारी पात्रता प्रमाणपत्र संख्या.....
..... दिनांक..... के अनुसार..... की दर से कर में छूट
का हकदार है जिसके अनुसार इस बीजक में छूट की धनराशि.....
..... बनती है।”

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
प्रमुख सचिव।

No. 1314/XXXVI(4)/2008

Dated Dehradun, March 31, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand (the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) (Amendment) Bill, 2008 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 05 of 2008)

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 25th March, 2008.

THE UTTARAKHAND (THE UTTARANCHAL VALUE ADDED TAX ACT, 2005)

(AMENDMENT) ACT, 2008

(Act No. 05 of 2008)

AN

ACT

to amend The Uttarakhand (the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Fifty-Ninth year of the Republic of India as follows :—

- Short title and commencement:** 1. (1) This Bill may be called the Uttarakhand (the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) (Amendment) BILL, 2008
- (2) It shall come into force at once.
- General:** 2. In the Uttarakhand (the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, hereinafter referred to as the "Principal Act", the designation "Commercial Tax Officer" shall be **substituted** for the designation "Commercial Tax Officer Grade - II" wherever it occurs therein.
- Amendment of section 2:** 3. In section 2 of the Principal Act-
- (a) for the existing sub-section (9), the following sub-section shall be **substituted; namely-**
- "(9) "Commissioner" means the Commissioner of Commercial Tax, appointed by the State Government and includes an Additional Commissioner, and a Joint Commissioner of Commercial Tax appointed by the Government;"
- (b) For the existing sub-section (25), the following sub-section shall be **substituted, namely-**
- "(25) "Officer-in-charge of a check post or barrier" means an officer not below the rank of Commercial Tax Officer, posted at such check post or barrier;"
- (c) For clause(c) of sub-section (27), the following clause shall be **substituted; namely-**
- "(c) A company or a corporation or a financial institution or a bank."

- Substitution / Amendment of clause in sub-section (2) and (7) of section 4:**
4. In section 4 of the Principal Act-
- (a) In sub-section (2) after clause (f), the following clause (g) shall be inserted, namely-
- “(g) In case of sale of used capital goods, purchased within one year prior to the date of the commencement of this Act or, as the case may be, from the date of registration under this Act, and on the purchase of which no tax has been paid in the State under this Act or under the repealed Act at the time of purchase, the tax shall be payable at the rates as per the Schedules;
- Provided that in case tax has been paid in the State under this Act or the repealed Act at the time of purchase, and no Input Tax Credit in respect thereof has been claimed, no tax shall be payable on such sale.”
- (b) In the last line of clause (a) of sub-section (7), for the words “at the rate of 4%” the words “at the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956” shall be substituted.
- (c) In the proviso to clause (a) of sub-section (7) for the words “4%” occurring therein, the words “the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956” shall be substituted.
- (d) In the beginning of clause (b) of sub-section (7) for the words “Where a dealer requires any goods, referred to in clause (a) for use by him in the manufacture in the State of any goods” the words “Where a dealer requires any goods, referred to in clause (a) for use by him for the manufacture of any taxable goods in the State” shall be substituted.
- (e) For the words “the Special Category Goods” occurring in the third line of clause (e) of sub-section (7), the words “the goods” shall be substituted.

(f) In clause (e) of sub-section (7) after the words "such dealer" the words "as penalty" used therein shall be deleted.

Amendment / 5.

Substitution in
clause of
sub-section

(3), (6), (7)

and (8) of

section 6:

In section 6 of the Principal Act-

(a) In clause (d) and clause (e) of sub-section (3) for the words "raw material" occurring in the above clause, the words "raw material and consumables" shall be substituted.

(b) In both the first and second proviso to sub-section (3) for the words "in excess of four percent", occurring therein, the words "in excess of the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956" shall be substituted.

(c) In clause (a) of sub-section (6) for the words "after expiry of three months" occurring therein, the words "after expiry of six months" shall be substituted.

(d) For clause (b) of sub-section (6) the following clause shall be substituted; namely-

"(b) In respect of purchase of Capital Goods up to the date of commencement of commercial production, a manufacturer shall be eligible to claim the input tax credit, in two equal yearly instalments following the year in which the date of first sale of such taxable goods falls. In case of purchase of Capital Goods after the date of commencement of commercial production, the total amount of such input tax credit for a financial year shall be claimed in two equal yearly instalments commencing from the next financial year. The yearly instalments shall be claimed in the return for the period ending September or in the return of any of the subsequent tax periods in each of the two years;

Provided that the amount of input tax credit in case of goods sold in the course of export out of the territory of India shall

be claimed by the dealer in one yearly instalment instead of two yearly instalments as above."

(e) After sub-clause (x) of clause (a) of sub-section (7), the following sub-clause shall be inserted, namely-

"(xi) goods purchased from a registered dealer who has given an option to pay Presumptive Tax at a percentage of turnover of sales under sub-section (1) of section 7 or a lump sum amount in lieu of tax on sale and / or purchase of such goods by way of composition under sub-section (2) of section 7."

(f) For the existing clause (m) of sub-section (8), the following clause shall be substituted; namely-

"(m) Special Category Goods specified in Schedule-III or the goods except molasses used in manufacture, processing or packing of such goods; or"

(g) In both the provisos after clause (n) of sub-section (8) for the words "item (f)" mentioned therein the words "item (g)" shall be substituted.

(h) In the first proviso of clause (n) of sub-section (8) for the words "in excess of four percent" occurring therein the words "in excess of the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956" shall be substituted.

Substitution of 6.
sub-section (12)
of Section 20:

For the existing sub-section (12) of section 20 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely-

(12) "No security under this section shall be required to be furnished by a dealer exclusively dealing in goods exempted from tax under section 4 and not making use of any of the forms prescribed under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956."

Substitution of sub-section (3) of section 23: 7. For the existing sub-section (3) of section 23 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely-

"(3) Every dealer or a person liable to pay tax shall also submit along with the return a list of purchase from registered dealers of goods in respect of which input tax credit is being claimed and also a list showing sale to the registered dealers, in the prescribed manner containing such particulars as may be prescribed."

Substitution of sub-section (4) and (8) of section 25: 8. In section 25 of the Principal Act-

(a) For the existing sub-section (4), the following sub-section shall be substituted; namely-

"(4) Notwithstanding any thing contained in sub-section (3) above, the cases of the following categories shall be subjected to regular assessment after scrutiny—

(a) cases in which the gross turnover exceeds five crore rupees in a financial year;

(b) cases in which the claim of input tax credit exceeds five lakh rupees in a year;

(c) cases in which the claim of refund exceeds one lakh rupees in a year;

(d) cases based on definite intelligence about evasion of tax;

(e) cases selected to a maximum of 20% on the basis of any criteria or on random basis from amongst the cases covered under the provisions of sub-section (3) and sub-section (4) for self assessment;

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, change the criteria for selection of cases for scrutiny."

(b) For the existing sub-section (8) the following sub-section shall be substituted; namely-

“(8) Tax Audit:

(a) Notwithstanding that the assessment of a dealer for any year is pending or he has been assessed or re-assessed under the provisions of this Act for any assessment year or its part, tax audit of records, stock in trade or related documents of the dealer may be conducted for the purpose to ensure compliance by the dealer with the requirements of the Act.

(b) The tax audit may be conducted by officer(s) posted in the Tax Audit Wing or by other officer(s) of the department including assessing officers so authorized by the Commissioner or by an officer of the Tax Audit Wing not below the rank of an Additional Commissioner.

(c) For the purpose of tax audit under clause (a) the officer(s) so authorized shall examine the correctness of the return or returns filed and admissibility of various claims including input tax credit.

(d) The selection of dealers for the purpose of tax audit shall be in the manner as may be prescribed.

(e) The tax audit may be taken up in the office, business premises or warehouse of the dealer. However, the officer conducting audit may, if he deems it necessary, require the dealer to either attend and produce or cause to be produced the books of accounts and other documents in his office or any other place which may be specified in the notice in the prescribed manner.

(f) The officer(s) conducting the tax audit shall have powers under Section 42 of the Act and may make or

cause to be made extracts or copies from books of accounts and other documents, make inventory of stock, seek such information or statement, which may be useful and relevant to any proceeding under this Act.

(g) The dealers shall provide full cooperation and assistance to the Audit party during the course of audit.

(h) After the completion of the tax audit the audit report shall be sent to the assessing authority and also to the dealer within 15 days of the tax audit.

(i) The Assessing authority on the basis of the audit report shall initiate necessary proceedings as per the provisions of the Act."

Amendment in
sub-section (1)
and its proviso
of section 34:

9. In sub-section (1) and its proviso of section 34 of the Principal Act, for the words "within 30 days" the words "within 60 days", shall be substituted.

Substitution
of proviso in
sub-section(3)
of Section 36:

10. In sub-section (3) of section 36 of the Principal Act, the following proviso shall be added, namely-

"Provided that if any amount is found to be refundable in the cases deemed to have been self assessed in accordance with sub-section (3) of section 25, the refund voucher, shall be sent within one month of the expiry of one year from the last date prescribed for filing the annual return relating to the particular assessment year or the actual date, when the return has been filed, whichever is later."

Substitution of
sub-section (2)
of section 37:

11. For the existing sub-section (2) of section 37 of the Principle Act, the following sub-section shall be substituted, namely-

"(2) The said dealer shall furnish a Bank Guarantee or other security or documentary evidence of export of goods to the satisfaction of the assessing authority for an amount equal to the amount of the provisional refund. On receipt of such

guarantee or other security or documentary evidence of export the assessing authority shall, subject to the provisions of this section and the rules, grant the dealer within thirty days a provisional refund that may be found as refundable. The dealer shall keep the bank guarantee or security furnished by him valid upto the date of recovery of excess amount, if any, after final assessment:

Provided that if the amount found refundable is not refunded to the dealer within the period prescribed, the dealer shall be entitled to simple interest on such amount at the rate of nine percent per annum."

Repeal of sub-section(3) of section 44: 12. Sub-section (3) of section 44 of the Principal Act, is hereby repealed.

Amendment in sub-section (1) of section 51: 13. In sub-section (1) of the section 51 of the Principal Act, for the words "within thirty days" used therein the words "within sixty days" shall be substituted.

Substitution of sub-section (1) of section 58: 14. For the existing sub-section (1) of section 58 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely-
 "(1) If the assessing authority is satisfied that any dealer or other person has committed the offence mentioned in any clause of column (1) of the following chart it may, after such enquiry as deemed necessary, direct that such dealer or person shall pay, by way of penalty, in addition to the tax, if any, payable by him the amount mentioned in the related column (2), namely-

Column-1 Offences	Column-2 Penalties
(i) being liable for registration under this Act carries on or continues to carry on business as a dealer beyond thirty days from the date on	(i) a sum of rupees two hundred for each month or part thereof for the default during the first three

which he becomes liable to obtain registration, without obtaining registration under and in accordance with the provisions of Section 15 or Section 16 or with out furnishing the security demanded under Section 20;	months and rupees five hundred for every month or part thereof after the first three months during which the default continues;
(ii)not being a registered dealer falsely represents that he is or was a registered dealer at the time when he sells or buys goods;	(ii)a sum not exceeding five thousand rupees.
(iii)knowingly uses a false registration number including the registration number of another person, with a view to evade or avoid or shift the liability to pay the tax;	(iii)a sum not exceeding ten thousand rupees.
(iv)has, without reasonable cause failed to furnish the return of his turnover or to furnish it within the time allowed and in the manner prescribed,	(iv)a sum not less than ten percent, but not exceeding twenty five percent of the tax due if the tax due is up to ten thousand rupees and fifty percent if the tax due is above ten thousand rupees,
(v)has submitted a false return of his turnover under this Act,	(v)a sum not exceeding ten thousand rupees, or the amount of tax involved, whichever is higher,
(vi)has concealed particulars of his turnover or has deliberately furnished inaccurate particulars of such turnover;	(vi)a sum not less than fifty percent but not exceeding two hundred percent of the amount of tax which would thereby have been avoided,
(vii)has, without any reasonable cause failed- (a)to deposit the tax due under the Act, before furnishing the return or along with the return;	(vii) (a)a sum not less than ten percent, but not exceeding twenty five percent of the amount due if the amount due is up to ten thousand rupees and fifty percent if the amount due, is above ten thousand rupees

<p>(b) to pay within the time allowed the tax due under the provision of the Act;</p> <p>(c) to deposit with the return, the amount realized as tax in excess of the amount due under the Act or any amount in lieu of such tax by giving it any name or colour;</p>	<p>(b) a sum not less than ten percent, but not exceeding twenty five percent of the amount due if the amount due is up to ten thousand rupees and fifty percent if the amount due is above ten thousand rupees,</p> <p>(c) a sum not less than the amount of tax realized or realized in excess but not more than three times the said amount.</p>
<p>(viii) fails to pay the amount in respect to which moratorium has been granted under the provisions of Section 76, within the time specified therein;</p>	<p>(viii) a sum not less than ten percent, but not exceeding twenty five percent of the amount due if the amount due is up to ten thousand rupees and fifty percent if the amount due is above ten thousand rupees.</p>
<p>(ix) demands or charges on the sale or purchase of any goods tax not due under the provisions of this Act;</p>	<p>(ix) a sum not exceeding ten thousand rupees,</p>
<p>(x) realizes any amount as tax on sale or purchase of goods or any amount in lieu of such tax by giving it a different name or colour in contravention of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) of section 22;</p>	<p>(x) a sum not less than the amount of tax realized or realized in excess but not exceeding three times of the said amount.</p>
<p>(xi) wrongly claims an amount as input tax credit or claims an input tax credit on the basis of false Sale Invoice;</p>	<p>(xi) a sum of rupees five thousand or three times of the amount claimed whichever is higher</p>
<p>(xii) produces a false proof of deposit of any amount of tax or fee or penalty or any sum due under this Act;</p>	<p>(xii) a sum of rupees five thousand or three times of the amount claimed whichever is higher,</p>

(xiii) does not maintain books, accounts, documents in the prescribed manner; or	(xiii) a sum not exceeding five thousand rupees.
(xiv) has maintained or produced false accounts, registers or documents;	(xiv) a sum not less than fifty percent but not exceeding two hundred percent of the amount of tax which would thereby have been avoided,
(xv) refuses or neglects to furnish any information which may be in his knowledge or possession and which he has been required to furnish for the purpose of this Act, or furnish information which is false in any material particulars;	(xv) a sum not exceeding rupees two thousand for each default,
(xvi) fails to furnish the audit report in contravention of the provision of section 62;	(xvi) a sum not exceeding five thousand rupees,
(xvii) refuses to permit or refuses or neglects to produce for inspection or examination any book, document or account or display materials in a computer or in a computer floppy or refuses to allow copies or print out to be taken in accordance with the provisions of section 42;	(xvii) a sum not exceeding ten thousand rupees.
(xviii) closes or leaves the place of his business with a view to prevent inspection under this Act or the rules made there under;	(xviii) a sum not exceeding five thousand rupees.
(xix) imports or transports, or attempts to import or transport, abets the import or transport any goods in contravention of the provisions of Section 48 or Section 49;	(xix) a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher,
(xx) fails or refuses to stop or keep stationary his vehicle when asked to do so by the officer-in-charge of a check-post or barrier established under section 47 or by an officer empowered under section 42;	(xx) a sum not exceeding ten thousand rupees.

(xxi) fails to obtain authorization for transit of goods or to deliver the same, as provided in section 50;	(xxi) a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act
(xxii) being a transporter or forwarding agent who receives any goods from the driver or person-in-charge of a vehicle coming from out side the State for carrying them out side the State but fails to prove that goods have been carried outside the State;	(xxii) a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act whichever is higher.
(xxiii) being transporter or hirer or driver or person-in-charge of a vehicle has prepared documents showing the destination of goods to a place out side the State, fails to produce copies of authorization for transit of goods along with goods before the officer-in-charge of the exit check-post and/ or fails to prove that after obtaining authorization for transit from officer-in-charge of the entry check-post, goods have been carried out side the State;	(xxiii) a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act whichever is higher.
(xxiv) tampers with seal put under sub-section (7) of section 42; or	(xxiv) a sum not exceeding twenty five thousand rupees.
(xxv) fails to issue a Sale Invoice in accordance with the provisions of Section 60, or has issued a Sale Invoice with incomplete or incorrect particulars or having issued such invoice he has failed to account for it correctly in his books of accounts;	(xxv) a sum of rupees one hundred or double the amount of tax involved, whichever is higher for the first default, or two hundred rupees or four times of the tax involved whichever is higher, for the second and each subsequent default.
(xxvi) issues a false Sale Invoice, voucher or other documents which he knows or has reasons to believe, to be false;	(xxvi) a sum not exceeding ten thousand rupees.

(xxvii)fails to issue a challan or transfer invoice or transport memo in respect of dispatch or delivery of goods in accordance with the provisions of this Act;	(xxvii)a sum of rupees one hundred or double the amount of tax involved, whichever is higher for the first default or two hundred rupees or four times of the tax involved whichever is higher, for the second and each subsequent default.
(xxviii)issues or receives a false Sale Invoice without sale or purchase of goods shown in such false Sale Invoice;	(xxviii)a sum not exceeding five thousand rupees.
(xxix)issues or furnishes a false or a wrong form of declaration or certificate by reason of which a tax on sale or purchase ceases to be leviable under This Act or the rules made there under;	(xxix)a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher,
(xxx)makes use of or furnishes a prescribed form of declaration or certificate which has not been obtained by hi m or his principal or agent in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder;	(xxx)a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher,
(xxxi)transfers a prescribed form of declaration or certificate to any other person except for lawful purposes under the provisions of this Act or the rules made there under;	(xxxi)a sum equal to three times of the amount of tax treating the turnover of the goods liable to tax or forty percent of value of the goods mentioned on it whichever is higher, and if the form of declaration or certificate is blank, a sum not exceeding ten thousand rupees,
(xxxii)receives or possesses or uses or furnishes with an intention to cause loss to the revenue, any prescribed form of declaration or certificate which has not been obtained by him	(xxxii)a sum equal to three times of the amount of tax treating the turnover of the goods liable to tax or forty percent of value of, the

or his principal or agent in accordance with the provision of this Act or the rules made thereunder;	goods mentioned on it whichever is higher, and if the form of declaration or certificate is blank, a sum not exceeding ten thousand rupees.
(xxxiii) obstructs or prevents any officer from performing any of his functions or discharging his duties under this Act or abuses or threatens any officer;	(xxxiii) a sum not exceeding ten thousand rupees.
(xxxiv) provokes or invites other person or persons with a view to prevent any officer from performing his functions or discharging his duties under the Act or participates in an unlawful assembly with a view to prevent an officer from performing his functions or discharging his duties under this Act, or abuses or threatens any officer;	(xxxiv) a sum not exceeding ten thousand rupees.
(xxxv) makes false verifications or declaration on an application for registration or in connection with any other proceeding under this Act;	(xxxv) a sum not exceeding ten thousand rupees.
(xxxvi) otherwise acts in contravention of the provisions of this Act or the rules made there under;	(xxxvi) a sum not exceeding five thousand rupees.

Explanation- For the purpose of this section, the Assessing Authority includes an officer not below the rank of **Commercial Tax Officer**, posted at the check-post or also an officer authorized to exercise powers under Section 42 or Section 43 or both, as the case may be.

Substitution of sub-section (10) of section 59: 15. For the existing sub-section (10) of section 59 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely-

"(10) Where a registered dealer or a dealer liable to pay tax, consigns any taxable goods to another dealer whether as a result of sale or otherwise:

(a) Such dealer shall issue a sale invoice or a challan in case of consignment of goods otherwise than way of sale

which shall contain the name, address and registration certificate no. (which effective date) of the consignor and consignee and the description, quantity, volume of goods and amount of tax charged in case of sale and also estimated value of goods in case of consignment and value of goods in case of sale.

(b) Such dealer shall issue a sale invoice or as the case may be the challan in original to the purchaser or the consignee person and the first copy of the invoice in case of sale and the original copy of the challan in case of consignment shall accompany the goods during the journey of goods and the second copy of the invoice in case of sale and the duplicate of the challan in case of consignment shall be preserved by the dealer as part of his accounts.

(c) Person transporting the goods for delivery to consignment shall record the registration number of the vehicles on the sale invoice or the challan and shall deliver such document to the consignee along with the goods.

(d) The consignee dealer of goods shall not transfer any such document to any other person and preserve the same for the period prescribed under Section 61."

Amendment in
clause (e) of
sub-section (2)
of section 60:

16. In clause (e) of sub-section (2) of section 60 of the Principal Act for the word "servant" occurring therein the word "employee" shall be substituted.

Substitution
of section 62:

17. For the existing section 62 of the Principal Act, the following section shall be substituted; namely-

"(1) Where in any particular year gross turnover of a dealer exceeds One crore rupees or such other amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette,

specify, then such dealer shall get his accounts, in respect of that year, audited by an accountant before 31st December in the following year and obtain a report of such audit duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

(2) A true copy of such report shall be furnished by such dealer to the assessing authority within two months after the expiry of the period during which the audit is required to be completed as per sub-section (1)

(3) Where in any particular year gross turnover of a dealer exceeds forty lakh rupees but does not exceed one crore rupees then such dealer shall furnish a true copy of the audit report of his accounts duly signed and verified by a chartered Accountant, or a Cost Accountant or an Auditor. This report shall be submitted to the assessing authority by 31st December of the following Year.

Explanation- For the purpose of this Section, "Accountant" means a Chartered Accountant as defined in the Chartered Accountant Act, 1949, a Cost Accountant as defined in the Cost and Works Accounts Act, 1959, and includes a person who by virtue of the provisions of sub-section (2) of Section 226 of the Companies Act, 1956, is entitled to be appointed to act as an auditor of Companies registered under the said Act."

Substitution
of section 75:

18. For the existing section 75 of the Principal Act, the following section shall be substituted; namely-

Section 75 (Power of Remission of arrears and granting Installments):

"(1) Subject to such conditions and restrictions as may be deemed fit the State Government may remit the arrears of tax, penalty, interest or other dues against any dealer or person.

(2) Subject to such conditions and restrictions, as may be deemed fit-

(a) the State Government may permit any dealer or other person, against whom any amount of tax penalty or other dues is out standing to pay the amount in such number of monthly installments, as it may consider proper in the circumstances of the case; and

(b) the Commissioner may likewise permit any dealer or other person, against whom any amount of tax, penalty or other dues aggregating not more than two lakh rupees is outstanding, to deposit the same in such number of monthly installments, not exceeding twenty, as he may consider proper in the circumstances of the case.

(3) Where such dealer or other person fails to furnish, within thirty days of the receipt of the order referred to in sub-section (2), adequate security to the satisfaction of the assessing authority concerned for payment of outstanding amount, or fails to comply with the conditions and restriction imposed in such order, the amount due shall be recoverable at once."

Substitution of
clause (c) of
sub-section (3)
of section 76:

19. For clause (c) of sub-section (3) of section 76 of the Principal Act, the following clause shall be substituted; namely-

"(c) any taxable dealer purchasing goods from such dealer holding eligibility certificate and who is exempted from tax, whether wholly or partially, shall be entitled to Input Tax Credit of the amount of tax charged in the sale invoice of the selling dealer, and for this purpose the selling dealer shall append the following certificate in the sale invoice regarding-

Certificate

"Certified that the dealer is entitled to exemption from tax @
..... as per Eligibility Certificate No.
Dated.....according to which the exemption amount
in this invoice comes to Rs....."

By Order,

Smt. INDIRAASHISH,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 13 विधायी / 281-2008-100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

115408001.122